संख्या-227/2024/आई0/797745/2024-5-6099/8/2024-6

प्रेषक,

रंजन कुमार,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

(2) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

(3) समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊः दिनांक 14 नवम्बर, 2024

विषयः- **The Clinical Establishment (Registration and Regulation) Act, 2010** के अन्तर्गत नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-2777/पॉच-6-2021 दिनांक 22.11.2021, दिनांक 06.12.2021 एवं शासन के पत्र संख्या-55/पॉच-6-2022 दिनांक 07.01.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चिकित्सालयों/नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गये है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 50 शैय्या से कम क्षमता वाले चिकित्सालयों/नैदानिक स्थापनों के पंजीकरण के सम्बन्ध में वर्तमान में चल रही व्यवस्था को निम्नवत् संशोधित किया जाता है:-

(1) 50 शैय्या से कम क्षमता वाले चिकित्सालयों/नैदानिक स्थापनों के स्थायी पंजीकरण हेतु 05 वर्ष के लिये इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान की जायेगी कि सम्बन्धित चिकित्सालय/परिसर में अपनी चिकित्सा इकाई (Health facility) का रजिस्ट्रेशन नम्बर, संचालक का नाम, बेड की संख्या, औषधि की पद्धति एवं चिकित्सालय द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं तथा चिकित्सा कर्मचारिवृद (चिकित्सक, नर्स आदि) का विवरण 5x3 (15 वर्ग फुट) का एक डिस्प्ले बोर्ड जिसका बैकग्राउण्ड पीला एवं फारमैट हिन्दी अक्षर रंग काला के अनुसार स्पष्ट अक्षरों में चिकित्सालय के मुख्य द्वार के पास प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेगें।

(2) 50 शैय्या से कम क्षमता वाले चिकित्सालयों/नैदानिक स्थापनों का नवीनीकरण 05 वर्ष के लिये उपरोक्त शर्त के साथ किया जायेगा।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
रंजन कुमार
सचिव

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0, शासन।
2. प्रमुख सचिव, आयुष विभाग, उ0प्र0, शासन।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0, उ0प्र0, लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उ0प्र0।
6. निदेशक आयुर्वेद, उ0प्र0, लखनऊ।
7. निदेशक होम्योपैथी, उ0प्र0,लखनऊ।
8. निदेशक (चिकित्सा उपचार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0,लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

रंजन कुमार

सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।